

न्यूनतम 21°C
अधिकतम 27°C

आज की अमृतवाणी

ताश का जोकर और अपनों की ठोकर, अक्सर बाजी घुमा देते हैं।

मुजफ्फरनगर बुलेटिन

संस्थापक : उत्तम चंद्र शर्मा

यह गुजफ़रनगर है.....

लोग भारत जोड़ो यात्रा के, देश तोड़ने के मंसूबे को समझ चुके हैं : बसवराज बोम्मई

BHARAT JODO YATRA

राजनेता के दिल की बातों को.... आम जनता समझ ही लेती है.....

सूर्योदय : 6:18 सूर्यास्त : 5:52 वर्ष : 50/ अंक : 282 बुधवार, 12 अक्टूबर 2022 कार्तिक, कृष्ण पक्ष, तृतीया, सन्वत् 2079 मूल्य 3 रु. पृष्ठ-4

कवाल कांड : विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा

- ▶ एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने दोषियों को कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा
- ▶ फैसले के बाद कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा करने के बाद दोषियों को जमानत पर किया रिहा
- ▶ 2013 में कवाल गांव में सचिन और गौरव की हत्या के दो दिन बाद हुआ था हिंसक टकराव

मुजफ्फरनगर, 11 अक्टूबर (बु.)। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने अगस्त 2013 में कवाल में सचिन और गौरव की हत्या के दो दिन बाद हुए उपद्रव और में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए 2-2 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि 12वें आरोपी फारूख को शरह अधिनियम में 1 साल और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य 15 आरोपियों को शरह के अभाव में बरी कर दिया गया। तीन साल से कम होने के कारण जुर्माने की राशि जमा करने के बाद विधायक समेत तमाम दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कवाल गांव में फसाद की यह घटना 29 अगस्त 2013 की है। दरअसल 27 अगस्त 2013 में दो भाइयों सचिन और गौरव को सरेआम हत्या कर दी गई थी। इसी की तलाश में दो दिन बाद दो समुदाय के बीच संघर्ष हो गया था। भाइयों के साथ तोड़-फोड़ की घटना भी हुई। बीच-बचाव में आई पुलिस को भी विरोध



भाजपा विधायक विक्रम सैनी, धर्मवीर, सलेखचंद, रविन्द्र, रोहतास, सोनू, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, मौलाना मुकर्रम और दीपक कुमार को सकार्य में बाधा डालने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में बाकी 15 आरोपियों को शरह के अभाव में बरी कर दिया।

विक्रम बोले: फैसले के खिलाफ जायेंगे हाईकोर्ट

मुजफ्फरनगर। कवाल उपद्रव के मामले में सजा के बाद जमानत पर रिहा हुए भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें दो साल कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वो न्यायपालिका के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में पुलिस ने रस्सी को सांप बनाकर उनके खिलाफ झूठे और फर्जी मुकदमें दर्ज किए हैं। कोई भी समझ सकता है कि बलकटो से गली नहीं चल सकती, लेकिन झूठे मुकदमें में उन्हें सजा हो गई है। एक सवाल के जवाब में विधायक सैनी ने कहा कि भाजपा कहीं भी दोषी नहीं है। दंगा सपा शासन के काल में हुआ और सकार के इशारे पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें दर्ज हुए।

इसी उपद्रव को लेकर तत्कालीन एसएसपी सुभाष दूबे पर गिरी थी निलंबन की गाज

मुजफ्फरनगर। 27 अगस्त 2013 को कवाल में मामूली कहरसूनी को लेकर हुई सचिन और गौरव की हत्या के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया था। इन आरोपियों को ना छोड़ने को लेकर तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी गजिल सैनी को तत्काल हटा दिया गया था। इसके बाद सुभाष दूबे को मुजफ्फरनगर का नया एसएसपी बनाकर भेजा गया था। दूबे हैलिकॉप्टर से मुजफ्फरनगर आये थे। उनके आने के अगले दिन ही 29 अगस्त को कवाल में यह उपद्रव हो गया था। पुलिस ने इस घटना को छिपाने का भरसक प्रयास किया था। सीधिया और पुलिस अधिकारियों के बीच घटनाक्रम को लेकर तकरार भी हुई थी। उस समय समाचार पत्रों में कारत्यों के फोटो छपने के बाद हंगामा हुआ था। शासन ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दो दिन बाद ही एसएसपी सुभाष दूबे को निलंबित कर दिया था।



विधायक को सजा से भाजपा में हड़कम्प

मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को कवाल मामले में सजा मिलने से भाजपाइयों में खलबली मची है। विधायक सैनी को जैसे ही दोषी करार देने की खबर मिली तो बुढ़ान के पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता सचिन सिंघल और संजय अग्रवाल कोर्ट परिसर पहुंच गये। इन नेताओं ने काफ़ी देर विधायक और सकार की वकीलों से कानूनी राय ली। जिलाअध्यक्ष विजय शुक्ला और पूर्व विधायक अशोक कंसल भी काफ़ी देर जमे रहे।

तमाम दोषियों की जमानत मंजूर मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश ने विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सकार अधिकांश भागवतवादी ने बताया कि 3 साल से कम की सजा होने के कारण तमाम दोषियों को सजा की राशि जमा करने के बाद जमानत दे दी गई। उन्होंने बताया कि 11 आरोपियों को 2-2 साल, जबकि 12वें आरोपी फारूख को शरह अधिनियम में 1 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है।

चली गई मैडम अंजू अग्रवाल की कुर्सी

मुजफ्फरनगर, 11 अक्टूबर (बु.)। आखिर अंजू अग्रवाल की कुर्सी चली गई। भ्रष्टाचार के आरोपों पर वित्तीय अधिकारी सचिव होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उनका पद सुनने के बाद उन्हें पद मुक्त करने का फैसला किया गया। राज्यपाल ने शासन के परिपत्र के आधार पर अंजू अग्रवाल को पद से हटाए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही लेडी सिंघल के भ्रष्टाचार का अंत हो गया। राज्यपाल की ओर से इस आशय के आदेश प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अहिजात ने जारी किए।

प्रमुख सचिव अमृत अहिजात द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिलाधिकारी की आख्या में अंजू अग्रवाल को कर्तव्य पालन में चुक, कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अवसर, नगर पालिका की निधि को हानि पहुंचाने नगर पालिका निधि के दुरुपयोग एवं नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य करने के लिए दोषी पाया गया है। सभी आरोप सिद्ध हुए हुए आरोपों के आधार पर राज्यपाल उच्च न्यायालय ने नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -48 की उपधारा 2 (क) एवं

भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्यपाल ने दी पद मुक्त करने की स्वीकृति

जारी आदेश में अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकारी सचिव कर दिए गए थे। इस आदेश के बाद पालिकाध्यक्ष ने प्रमुख सचिव के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने इस मामले में प्रमुख सचिव अमृत अहिजात के खिलाफ भी न्यायालय की अमानत को लेकर वाचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उक्त मामले में वित्तीय अधिकारी सचिव करने के आदेशों को स्थगित करते हुए शासन को अंजू अग्रवाल का पद सुनने के लिए समय देते हुए समुचित निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में प्रमुख सचिव ने अंजू अग्रवाल को तलब करते हुए उनका पद सुनने के बाद आख्या दी थी। इसके आधार पर राज्यपाल ने अंजू अग्रवाल को पद से हटाने के आदेश पर मुहर लगा दी।

ऐसे शुरू हुई अंजू अग्रवाल की उलटी गिनती

मामनी और एक दो सलाहकारों के इशारे पर दंगल से पालिका चलती रही अंजू अग्रवाल को नियम कानूनों की जानकारी ना होना भी उनके



दोषी पाया गया था। इस मामले में 19 जुलाई को

पीएम ने की महाकाल की पूजा व 856 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन

उज्जैन, 11 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम महाकाल के मंदिर में पूजा की और 856 करोड़ रुपये की लागत वाली भव्य और दिव्य महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत 856 करोड़ रुपये की यह परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने 'श्री महाकाल लोक' के लोकप्रिय के बाद इसकी विशेषताओं के साथ उज्जैन को खासियत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 'महाकाल लोक' में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के साहित्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। महाकाल नगर प्रत्येक के प्रहार से भी मुक्त रहे। वहीं वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन नगर की आस्था का केंद्र रहा है। मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ही ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और जब महाकाल का आशीर्वाद मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं।



मुजफ्फरनगर बुलेटिन के 50 वर्ष पूरे होने व रंगीन संस्करण की हार्दिक शुभकामनाएं

विनील कात्यायन
जिला महामंत्री भाजपा मुजफ्फरनगर

संगीत गर्ग
जागित समासद एवं पूर्व जिला सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ

50 SAAL BEMISAAL

अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से दैनिक मुजफ्फरनगर बुलेटिन के 50 वर्ष पूर्ण होने एवं रंगीन संस्करण की हार्दिक शुभकामनाएं

50 SAAL BEMISAAL

अग्रवाल सम्मेलन द्वारा समय-समय पर आयोजित कराये गये विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्य

केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का सम्मान

मंत्रालय जयशंकर गणपत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्य श्री विजय

केंद्रीय मंत्री विजय गौतल को सम्मानित करते

मंत्रि कपिल देव अग्रवाल का सम्मान करते हुए

